



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 2019/पौष 21, 1940

No. 18]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2019/PAUSHA 21, 1940

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2019

फा. सं. एवी-19032/5/2015-एएआई-एमओसीए.—राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 की धारा 26 की उप-धारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 में एतद्वारा आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा –

उक्त नीति में, पैरा 14, खंड (घ) में “01 जनवरी, 2019” शब्दों और अंकों के स्थान पर “30 जून 2020” शब्द और अंक, शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

सत्येन्द्र कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

नोट: राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-1, खंड-1 में दिनांक 29 जून, 2016 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2019

F. No. AV-19032/5/2015-AAI-MOCA.—In exercise of the powers conferred by sub-section (a) of section 26 of the National Civil Aviation Policy, 2016, the Central Government with the approval of the Competent Authority, hereby makes the following further amendments in the National Civil Aviation Policy, 2016, namely:-

In the said Policy, in paragraph 14, in clause (d), for the word and figures, “from 1st January, 2019”, the words and figures, “from 30th June, 2020” shall be substituted, with effect from the date of publication of this notification in the official gazette.

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note: The National Civil Aviation Policy, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated 29th June, 2016.